पत्रांकः 609/33–3–2013–48/2013

प्रेषक,

माजिद अली,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, कासगंत एवं उन्नाव।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 22 फरवरी, 2013

विषय–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के रू0 50,000 से अधिक के कार्यो को कराने हेतु निर्माण एजेन्सी का निर्धारण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 548/33–1–2009 दिनांक 24.02.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अंश की धनराशि से रू0 50,000 से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न निर्माण एजेन्सी को कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है।

2. उक्त शासनादेश सं0 548/33–1–2009 दिनांक 24.02.2009 को अवक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में बी0आर0जी0एफ0 के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन्स के प्रस्तर–4.12(संशोधित दिनांक 03.05.2010) के प्राविधानों के अनुरूप सम्बन्धित पंचायतीराज संस्थाओं/निकायों द्वारा ही कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा और यदि कोई परियोजना सम्बन्धित पंचायत/निकाय की क्षमता/दायरा (domain) से बाहर होगी तो अन्य विभाग/एजेन्सी नामित करने का निर्णय भी सम्बन्धित पंचायत/निकाय द्वारा ही लिया जाएगा। यह व्यवस्था वर्ष 2012–13 एवं उससे पूर्व के वर्षों के अनारम्भ कार्यों पर भी लागू होगी।

3. शासन के उक्त निर्णय का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्तर की पंचायतों एवं नागर निकायों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश निर्गत किए जाते हैः–

Gen 1

क–ग्राम पंचायत :

(1) ऐसी परियोजनाएं जिनकी लागत रू0 50000 से कम हैं, उनके लिये शासनादेश सं0 2334/33–1–2001–111/96 दिनांक 08.10.2001 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत स्वयं स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्य का क्रियान्वयन कर सकेगी।

(2) रू0 50000 से अधिक लागत की ऐसी परियोजनाएं, जो ग्राम पंचायत की क्षमता/दायरा (domain) के अन्दर होगी, उनका भी क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। इन कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्राक्कलन तैयार करने से लेकर नाप–जोख करने तथा ग्राम पंचायतों को वांछित तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु विकास खण्डों में तैनात ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिचाई विभागो के अवर अभियन्ता, जिला पंचायतों में तैनात सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता एवं अभियन्ता तथा सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) की सेवाएं ली जाएंगी।

(3) कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा। तकनीकी स्वीकृति सुसंगत निर्माण नियमावली/वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी।

(4) कार्य के प्राक्कलन की एक–एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत/नोडल अधिकारी के कार्यालय में रखी जाएगी।

(5) अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य जो ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं क्रियान्वित किये जाने हैं, उनकी धनराशि ग्राम पंचायत के खाते में कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के तत्काल बाद हस्तांतरित कर दी जाएगी। धनराशि अवमुक्त करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्राक्कलन तैयार कराकर तकनीकी स्वीकृति सहित अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को धन के हस्तांतरण की सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को भी दी जाएगी।

(6) बी0आर0जी0एफ0 की धनराशि ग्राम पंचायत के उसी ग्राम निधि–I के बैंक खाते में रखी जाएगी जिसमें केन्द्रीय 13वें वित्त आयोग की धनराशि रखी जाती है परन्तु ग्राम पंचायत स्तर पर बी0आर0जी0एफ0 की धनराशि की पृथक से कोष बही का रख रखाव आवश्यक होगा।

(7) अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में धनराशि ई–ट्रान्सफर प्रणाली द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी तथा उसकी लिखित सूचना भी जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत को प्रेषित की जाएगी।

(8) ग्राम पंचायत के खाते का संचालन संयुक्त प्राप्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 32 (4) के प्राविधान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। खाते के संचालन एवं लेखों के रख–रखाव में संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 एवं पंचायत राज नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) जिला पंचायतराज अधिकारी अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा पंचायत सचिव के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर सुसंगत नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्य का गुणवत्तापरक सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने, लेखा–जोखा तैयार करने, प्रिया साफ्ट पर इंट्री कराने तथा ग्राम पंचायत के लेखों का आडिट कराने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। मण्डल स्तर पर उक्त कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मंडलीय उपनिदेशक (पं0) द्वारा किया जायेगा।

(10) ग्राम पंचायत की निर्माण समिति, निर्माण कार्य की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करेगी तथा ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में उस पर चर्चा की जायेगी। निर्माण कार्य का लेखा–जोखा ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में प्रस्तुत करने के लिये पंचायत सचिव पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(11) जिन ग्राम पंचायतों में बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य किया जायेगा, उसके स्थलीय एवं लेखों के मासिक निरीक्षण के मानक निम्नवत् होंगे –

1–	सहायक विकास अधिकारी (पं0)	100 प्रतिशत
2–	खण्ड विकास अधिकारी	25 प्रतिश
3–	जिला पंचायतराज अधिकारी	20 प्रतिशत
4–	अपर मुख्य अधिकारी, जि0पंचा0	10 प्रतिशत
5–	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0)	5 प्रतिशत
6–	मुख्य विकास अधिकारी	5 प्रतिशत

(12) ग्राम पंचायत अंश के ऐसे कार्य जो ग्राम पंचायत की क्षमता/दायरे (domain) से बाहर हों, उनके क्रियान्वयन के लिये ऐजेंसी/कार्यदायी संस्था का चयन ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित कर ही किया जायेगा तथा मात्र ग्राम प्रधान की संस्तुति मान्य नहीं होगी। जिला पंचायतराज अधिकारी ऐसी ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त कर अपर मुख्य अधिकारी/नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जो उसे जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए कार्यदायी संस्था से कार्य कराने हेतु निर्देश निर्गत करेगी।

ख–क्षेत्र पंचायत :

(1) क्षेत्र पंचायत द्वारा जिला योजना समिति से अनुमोदित परियोजनाओं पर निर्माण कार्य स्वयं कराया जायेगा परन्तु यदि कोई विशिष्ट तकनीकी प्रकृति का कार्य उसकी क्षमता/दायरे (domain) से बाहर है तो ऐजेंसी/कार्यदायी संस्था का चयन क्षेत्र पंचायत की बैठक में किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा सुसंगत निर्माण नियमावली के प्राविधानों/शासनादेश/वित्तीय नियमों के अधीन ही कार्य कराया जायेगा तथा कोई विचलन पाये जाने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) क्षेत्र पंचायत के कार्यों का शत–प्रतिशत निरीक्षण खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा भी क्षेत्र के भ्रमण के समय क्षेत्र पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा।

ग–जिला पंचायत :

(1) जिला पंचायत द्वारा जिला योजना समिति से अनुमोदित परियोजनाओं पर निर्माण कार्य स्वयं कराया जायेगा परन्तु यदि कोई विशिष्ट तकनीकी प्रकृति का कार्य उनकी क्षमता/दायरे (domain) से बाहर है तो ऐजेंसी/कार्यदायी संस्था का चयन जिला पंचायत की बैठक में किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा सुसंगत निर्माण नियमावली के प्राविधानों/शासनादेश/वित्तीय नियमों के अधीन ही कार्य कराया जायेगा तथा कोई विचलन पाये जाने पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता जिला पंचायत उत्तरदायी होंगे।

(2) जिला पंचायत के कार्यों का शत–प्रतिशत सत्यापन अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा। मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भी निर्माण कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा।

घ–नागर निकाय :

(1) नागर निकाय द्वारा जिला योजना समिति से अनुमोदित परियोजनाओं पर निर्माण कार्य स्वयं कराया जायेगा परन्तु यदि कोई विशिष्ट तकनीकी प्रकृति का कार्य उनकी क्षमता/दायरे (domain) से बाहर है तो ऐजेंसी/कार्यदायी संस्था का चयन नागर निकाय की बैठक में किया जायेगा। नागर निकाय द्वारा सुसंगत निर्माण नियमावली के प्राविधानों/शासनादेश/वित्तीय नियमों के अधीन ही कार्य कराया जायेगा तथा कोई विचलन पाये जाने पर अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) नागर निकाय के कार्यों का शत–प्रतिशत सत्यापन अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट/ प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) द्वारा भी निर्माण कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा।

मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी भी क्षेत्र भ्रमण के समय पंचायतीराज संस्थाओं एवं नागर निकायों के कार्यों का यथासम्भव निरीक्षण करेंगे।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिए गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए वर्ष 2012–13 एवं उससे पूर्व की अवशेष धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करायें एवं तत्काल उपभोग प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार से वर्ष 2012–13 की अनुमन्य अवशेष धनराशि प्राप्त की जा सकें।

भवदीय,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।

संख्या:609/33–3–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव वित्त/नियोजन/नगर विकास, ग्राम्य विकास विभाग/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
5. निदेशक पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक पंचायतीराज (लेखा) उ0प्र0 लखनऊ।
9. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 शासन।
10. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) बी0आर0जी0एफ0 मण्डल।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
13. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, बी0आर0जी0एफ0 जनपद।
14. पंचायतीराज अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
15. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(ताहिर इकबाल)
विशेष सचिव।

Gen I